रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 1974/वैशाख 31, 1896
No. 121] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 1974/VAISAKHA 31, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

21 JUN 1974 Govt. of India

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st May 1974

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian Cotton Textiles including made-ups and readymade garments to France, West Germany, Italy, Benelux Countries, Denmark, Irish Republic and Austria upto 31st December, 1974.*

No. 22-ETC(PN)/74.—In partial modification of Public Notices 2-ETC(PN)/74, dated 3rd January, 1974, 3-ETC(PN)/74, dated 3rd January, 1974, 4-ETC(PN)/74, dated the 7th January, 1974 and 5-ETC(PN)/74, dated 9th January, 1974 on the above subject, para 3 of the above Public Notices shall be amended to read as under:—

Para 3: Licences for export by air under the scheme shall be issued by the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Bombay on the basis of quota certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay. In the case of shipments by sea, the exports shall be licensed freely on shipping bills on first-come-first-served basis by Export Trade Control Authorities at the ports of shipment on the basis of quota endorsement made by the representatives of the Council at Bombay (in the Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Bombay), New Delhi, Calcutta, Madras, Tuticorin, Cochin and Ahmedabad.

Para 3(a), 3(b), 3(c) of Public Notices No. 4-ETC(PN)/74, dated 7th January, 1974, No. 5-ETC(PN)/74, dated 9th January, 1974 shall remain unchanged.

In partial modification of original Public Notices 26, 27 and 29-ETC(PN)/73, dated 28th September, 1973 and 31-ETC(PN)/73, dated 1st October 1973, 2-ETC (PN)/74, dated 3rd January, 1974 and 3-ETC(PN)/74, dated 3rd January, 1974 on the above subject, para 6 of said Public Notices shall be amended to read as under:

Para 6: Export Licences for shipment by air shall be valid for export from any port in India and in the case of shipments by sea, free licensing endorsements shall be valid for shipment within one month from the respective port only.

The other terms and conditions contained in the above Public Notices remain unchanged.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 मई, 1974

विषय.—31 दिसम्बर, 1974 तक फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेनिलक्स देशों, डेनमार्क, आइरिश गणराज्य तथा आस्ट्रिया को तैयार वस्त्रों, पोशाकों सहित भारतीय सूती वस्त्रों के लिए लाइसेंस देने की योजना ।

सं० 22–ई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—उपर्युक्त विषयक सार्वजनिक सूचना संख्या 2–ईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 3 जनवरी, 1974, 3–ईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 3 जनवरी, 1974, 4–ईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 7 जनवरी, 1974 और 5–ईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 9 जनवरी, 1974 में आंशिक आशोधन कर इन सार्वजनिक सूचनाओं का पैरा 3 निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :—

पैरा 3: योजना के अधीन वायु मार्ग द्वारा निर्यात के लिए लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किए जाएंगे । जलमार्ग द्वारा पोतलदानों के मामले में निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पोतलदान बिलों पर बम्बई (संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, बम्बई में) नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, तूतीकोरिन, कोचीन तथा अहमदाबाद में परिषद के प्रतिनिधि द्वारा किए गए कोटा पृष्ठांकन के आधार पर पोतलदान के पत्तन पर निर्यातों को अबाध अनुमति दी जाएगी ।

सार्वजनिक सूचना सं० 4–ईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 7 जनवरी, 1974, 5 ईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 9 जनवरी, 1974 के पैरा 3(क), 3(ख), 3(ग) अपरिवर्तनीय रहेंगे ।

उपर्युक्त विषयक मूल सार्वजनिक सूचनाएं सं० 26, 27 तथा 29 ई टी सी (पीएन)/73 दिनांक 28 सितम्बर, 1973 और 31–ई टी सी (पी एन)/73 दिनांक 1 अक्तूबर, 1973, 2 ई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 3 जनवरी, 1974 और 3–ई टी सी (पीएन)/74 दिनांक 3 जनवरी, 1974 में आंशिक आशोधन कर इन सार्वजनिक सूचनाओं का पैरा 6 निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :—

पैरा 6 : वायुमार्ग द्वारा लदान के लिए निर्यात लाइसेन्स भारत के किसी भी पत्तन से निर्यात के लिए वैध होंगे और जलमार्ग द्वारा लदान के मामले में अबाध लाइसेन्स देने के पृष्ठांकन केवल सम्बन्धित पत्तन से लदान के लिए एक महीने तक वैध होंगे ।

उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974